



जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन-सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

जयपुर डिस्कॉम
विभिन्न योजनाओं की अवधि में तीन माह की बढ़ोतरी
विद्युत एमनेस्टी सहित वीसीआर निस्तारण एवं स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजनाओं का लाभ
अब 31 मार्च, 2019 तक

जयपुर, 31 दिसम्बर। जयपुर डिस्कॉम ने सोमवार को एक आदेश जारी कर तीन महत्वपूर्ण विद्युत योजनाओं की अवधि को तीन माह बढ़ा दिया है। अब इन योजनाओं का लाभ सम्बन्धित विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा 31 मार्च, 2019 तक उठाया जा सकता है। पूर्व में इन योजनाओं को 31 दिसम्बर, 2018 तक के लिए ही लागू किया गया था।

जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री ऐ.के.गुप्ता ने बताया कि विद्युत एमनेस्टी योजना, वीसीआर निस्तारण योजना एवं कृषि उपभोक्ताओं के लिए लागू वीसीआर निस्तारण एवं स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना की अवधि को 31 मार्च, 2019 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

विद्युत एमनेस्टी योजना के तहत 31 मार्च, 2019 तक बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज व पैनल्टी में शत-प्रतिशत छूट देय होगी। योजना के तहत अधरेलू, औद्योगिक एवं मिक्स्ड लोड श्रेणी के 31 मार्च, 2017 तक कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ता तथा घरेलू, कृषि, एसआईपी (ग्रामीण) श्रेणी व केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभागों के किसी भी श्रेणी के विद्युत कनेक्शन के नियमित/कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिलेगा चाहे उनके कनेक्शन कभी भी कटे हों।

वीसीआर निस्तारण योजना के तहत उपभोक्ता/गैर उपभोक्ताओं द्वारा 31 मार्च, 2018 तक की लम्बित वीसीआर का 31 मार्च, 2019 तक बहुत ही सरल तरीके से अंतिम निस्तारण करवाया जा सकता है। जिसके तहत 50 हजार रुपए तक की वीसीआर राशि पर 50 प्रतिशत एवं यदि वीसीआर की राशि 50 हजार रुपए से अधिक है तो 50 हजार रुपए का 50 प्रतिशत व 50 हजार से अधिक राशि पर 10 प्रतिशत राशि जमा कर वीसीआर का अंतिम निस्तारण करवाया जा सकता है।

कृषि उपभोक्ताओं के लिए वीसीआर निस्तारण एवं स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना के अन्तर्गत कृषि उपभोक्ताओं के लिए लागू लम्बित वीसीआर निस्तारण योजना के अनुसार 31 मार्च, 2019 तक कृषि कनेक्शन के नियमित उपभोक्ताओं की लम्बित वीसीआर का मूल निर्धारण राशि कम्पाउण्डिंग व सिविल लाईबिलिटी की 10 प्रतिशत राशि जमा कराने पर एकमुश्त निस्तारण कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कृषि उपभोक्ता अपने बढ़े हुए भार की 31 मार्च, 2019 तक स्वैच्छिक घोषणा कर उसको नियमित करवा सकते हैं। योजना के अन्तर्गत एक वर्ष से अधिक अवधि के कृषि कनेक्शन के उपभोक्ता बिना पैनल्टी के मात्र 30 रुपए प्रति हार्स पावर धरोहर राशि (15 रुपए प्रति हार्स पावर प्रति माह की दर से दो माह के लिए) जमा करवा कर बढ़े हुए भार को नियमित करवा सकते हैं और जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन को एक वर्ष नहीं हुआ है उनको बढ़े हुए भार पर धरोहर राशि के अतिरिक्त कृषि नीति के अनुसार नियमितिकरण शुल्क भी जमा कराना होगा।

